2019/00079

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी बैंक लि॰ एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोवर पारेल, वेस्ट मुम्बई, एवं द्वितीय पता– द्वितीय फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाहर जफर मार्ग, आई टी ओ, न्यू देहली ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर श्री कृष्णा यादव एण्ड श्री अभिजीत यादव
   पता–119 आनन्द नगर, वैशाली नगर, सिरसी रोड, जयपुर।
2. कृष्णा यादव पुत्र श्री जिले सिंह यादव पार्टन मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
   पता–119 आनन्द नगर, वैशाली नगर, सिरसी रोड, जयपुर।
3. श्री अभिंजीत यादव पुत्र श्री कृष्णा यादव पार्टन मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
   पता–119 आनन्द नगर, वैशाली नगर, सिरसी रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री आर एल अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 11-11-2019

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.01.2016 एवं नवीनीकरण दिनांक 29.10.2016 एवं 08.02.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कृष्णा यादव के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नं॰ 115 ए, (नोर्थ पार्ट) आनन्द विहार, स्कीम नं॰ 9, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 204 वर्गमीटर एवं प्लाट नं॰ 115 (साउथ पार्ट) आनन्द विहार, स्कीम नं॰ 9, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 204.37 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल 19,00,00,000/– लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक समपत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी अधवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसका अप्रार्थी ऋणी द्वारा दिनांक 24.09.2018 को प्रत्युत्तर दिया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा 13 (2) के नोटिस के दिये गये जबाब की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री कृष्ण यादव के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नं॰ 115 ए. (नोर्थ पार्ट) आनन्द विहार, स्कीम नं. 9, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 204 वर्गमीटर एवं प्लाट नं॰ 115 (साउथ पार्ट) आनन्द विहार, स्कीम नं॰ 9, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 204.37 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)